जिला– मु0न0:– 15/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजू:–10.03.2023

मु0न0:– 15/2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. पूरनसिंह महर पुत्र कल्याण सहाय जाति मीना निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम (सायल)

बनाम

1. कुन्जीलाल पुत्र कन्नू
2. कलुवा पुत्र कन्नू
3. पप्पू पुत्र रामेश्वर
4. प्रीतम पुत्र रामेश्वर
5. मुकेश पुत्र कन्नू
6. हजारी पुत्र धन्या

समस्त जाति जोगी निवासी पाडला खालसा तहसील टोडाभीम

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री हंसराम गुर्जर एड0 सायल

निर्णय दिनांकः– 22.08.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पाडला की आराजी ख0नं0 1340 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 1340/1476 रकबा 0.09 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 में सायल पूरनसिंह हिस्सा 1/5 का खातेदार काश्तकार है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में सायल के नाम हिस्सा 1/5 की खातेदारी दर्ज है। बकिया हिस्सा के गैर सायलान नं0 01 ता 06 व मूल वाद के प्रतिवादी नं0 07 ता 13 सहखातेदार हैं। सायल की भूमि से गैरसायलान का कोई सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है। खातेदारी में दर्ज खातेदार अमरसिंह का देहान्त हो गया है। उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस उसके पुत्र, पुत्री, बेवा है। जो दावा में पक्षकार बनाये गये है। सायल ने अपने हिस्से की भूमि में जौ की फसल काश्त की है। सायल राजकीय शिक्षक है। गैरसायलान, सायल की भूमि ख0नं0 1340 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 1340/1476 रकबा 0.09 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 में उसके हिस्से की भूमि हिस्सा 1/5 में काश्त करने में रूकावट, मजाहमत पैदा करते है तथा आये दिन झगडा फसाद को तैयार रहते है। डोलमेढ पर विवाद करते हैं

बॉका दिनांक 08.03.2023 को कहा कि तहसील टोडाभीम चलकर मुताबिक खातेदारी अलग खाता कायम कराने को कहा तो वे इस पर इन्कार हो गये। गैरसायलान ने ऐलानियां धमकी दी है कि तुझे काश्त नहीं करने देंगे तथा मौके पर भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर पक्की बाउण्ड्री वाल का निर्माण करेंगे। सायल ने इनको काफी समझाया लेकिन नहीं माने, इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

उनवानः– पूरणसिंह बनाम कुन्जीलाल

न0:– 15/2023

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान पेश कर निवेदन है कि रसायलान को पाबंद किया जावे कि वे सायल की खातेदारी व कब्जे की भूमि ख0नं0 1340 क़बा 0.42 है0, ख0नं0 1340/1476 रकबा 0[illegible] है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 ाम पाडला तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर [illegible] निर्माण, पक्की बाउण्ड्री ाहीं करें तथा सायल के कब्जे [illegible] मजाहमत पैदा नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] तलब किया गया शेष गैरसायलान ावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested

सायल वकील की बहस सुनी गई सायल वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया कि वर्णित आराजीयात में वादी मुताबिक जमावंदी में दर्ज हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के मूल वाद के प्रतिवादीगण जमावंदी में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल एवं गैरसायलान तथा मूलवाद के प्रतिवादीगण ने वादपत्र में वर्णित आराजीयात का बहामी बटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। गैरसायलान आये दिन वादी के हिस्से व कब्जे की डोल मेड को तोडते रहते हैं तथा मना करने पर झगडा करने पर उतारू हो जाते हैं जिससे आये दिन विवाद बना रहता है गैरसायल न0 1 ता 6 बिना अधिकार के सायलान की सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते है। जबकि कानूनी रूप से उन्हे कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है। सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे बखूबी साबित है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हुई तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। जिसकी पूर्ति होना संभव नही है। जबकि गेरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर पाबन्द किया जावे कि वे सायल की आराजी मे निर्माण नही करे तथा सायल के हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

सायल वकील की बहस पर मनन किया गया पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया पत्रावली में शामिल जमावंदी सम्वत् 2073–76 के ख0नं0 1340 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 1340/1476 रकबा 0.09 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 में सायल हिस्सा 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से में गैर सायलान नं0 01 ता 06 व मूल वाद के प्रतिवादी नं0 07 ता 13 मुताबिक जमावंदी अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहे हैं इसलिये प्रकरण प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष मे साबित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष मे साबित है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से ता दावा फैसला स्वीकार किया जाता है।

अतः गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पाडला खालसा की आराजी ख0न0 1340 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 1340/1476 रकबा 0.09 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 मे ता दावा फैसला मौके की यथास्थिति बनाये रखे, तथा निर्माण नही करे।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी